

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Pithoragarh

No

Dated

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on the submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter Dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.397 hectares of forest land to be diverted in favor of **Executive Engineer, U.J.V.N.L, Division Dharchula** for construction of **4X3000 Kilowatt Tankul Small Hydro Power Project, Tehsil Dharchula** in Pithoragarh district.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **9.397** hectares for forest area proposed for division. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-division level Committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure respectively to annexure I and II.
- (b) The Proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The earth of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of .. villages(s) is enclosed as annexure- I to annexure- II.
- (d) The Discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl:- As above


Signature

(Full Name and Official Seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DUPTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)**

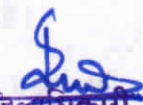
Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rigths) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Dr. Ranjeet Kumar Sinha**, I.A.S. deputy commissioner pithoragarh on dated 18-11-2016 at time 16.00 P.M. at **pithoragarh** in which application claiming rights in village Bung Bung to village tankul area measuring 9.397 hect. for the construction of **4X3000 Kilowatt Tankul Small Hydro Power Project** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly prosessed and recommended by the sub division level committee of **Dharchula** Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made and hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place.....Pithoragarh.....

Dated.....18-11-2016.....


जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 9.397 है0 सिविल एवं सोयम, वन भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 9.397 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड खण्ड धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धारचूला) की दिनांक 25.09.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय उपजिलाधिकारी धारचूला अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार जीवास्तव उप प्रभागीय वनाधिकारी 03 सदस्य
3. श्री जीत राम सायौ सहायक समाज कल्याण अधिकारी धारचूला सदस्य/सचिव
4. श्री विरख सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र पाण्डेय सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता -- 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 9.397 है0 वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4X3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 9.397 है0 वन भूमि का यू0 जे0 वि0 एन0 लिमिटेड खण्ड धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
धारचूला-पिथौरागढ़

विरख सिंह
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पाण्डेय
वि0 ख0 धारचूला (पिथौरागढ़)

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धारचूला
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
डोडीहाट
पिथौरागढ़ वन विभाग

तहसील धारचूला
जिला-पिथौरागढ़

तहसील धारचूला
धारचूला

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धारचूला
जनपद- पिथौरागढ़

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है० के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- बुंगबुंग

तहसील:- धारचूला

जिला:- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 9.397 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 10.236 है० वन भूमि का यू०जे०वि०एन० लिमिटेड धारचूला, जिला पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुंगबुंग द्वारा दिनांक 09-05-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुंगबुंग के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.236 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

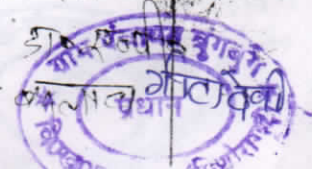

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम: बुंगबुंग, तहसील: धारचूला, जिला: पिथौरागढ़
विकास खण्ड: धारचूला (पिथौरागढ़)

ह०/-


ग्राम प्रधान

उपायविधि	पृ. सं.	की गयी कार्यवाही	दस्तावेज
श्री राम लाल देवी सुशीला देवी रिपमला आमला देवी भास्वर दरपान सिंह पान सिंह नितु देवी भावना देवी कल्याणती देवी सखिलती देवी विशु देवी कुशली देवी पार्वती देवी मिशला देवी पानसुती देवी रमला देवी सहला देवी सरोज देवी गीता देवी लीला देवी उद्योता देवी गोविन्दा देवी उषा देवी कल्याणती देवी मदन सिंह	4	भाद के जन्म-हल्द पर नया फ्लिप गमा रचा निमगानुसार जन्म-हल्द का फ्लिप किया गया। जल विद्युत परियोजना पर चर्चा। आज की बैठक में तोकुल जल जल विद्युत परियोजना पर चर्चा किया गया जो बुंगबुंग मरी से तोकुल तक बनायी जा रही है, बैठक में परियोजना से जुड़े सदस्य आभियन्ता श्री उमेश जोशी जी द्वारा उपास्थित ग्राम वासियों के परियोजना से सम्बन्धित जातकारी दी गयी, समस्त ग्राम वासियों द्वारा जल विद्युत परियोजना बनाये जाने पर सहमत होकर की तुरा किसी भी प्रकार के आपात नही की गयी, सभी ग्राम वासी उक्त परियोजना बनने जाने पर सहमत हैं, बैठक के उपास्थित सदस्यों द्वारा अग्रह किया कि ग्राम बुंगबुंग में वन आवधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण लम्बित नही हो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।	सुशीला देवी रिपमला आमला देवी भास्वर दरपान सिंह पान सिंह नितु देवी भावना देवी कल्याणती देवी सखिलती देवी विशु देवी कुशली देवी पार्वती देवी मिशला देवी पानसुती देवी रमला देवी सहला देवी सरोज देवी गीता देवी लीला देवी उद्योता देवी गोविन्दा देवी उषा देवी कल्याणती देवी मदन सिंह
जयशंकर सुभाष सिंह मोहन सिंह	5	डा० रवीन्द्र जी अहलुवालिया ग्राम बदलाव योजना पर चर्चा। आज की बैठक में वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक डा० रवीन्द्र जी अहलुवालिया जी अहलुवालिया ग्राम बदलाव योजना पर चर्चा	जयशंकर सुभाष सिंह मोहन सिंह

पंचायत विकास अधिकारी
पंचायत
बजट संख्या : 100/2016-17 (वै.सं. 100/2016-17)

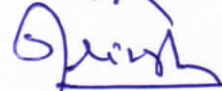
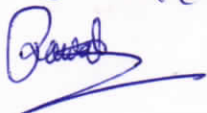


उपाध्यक्ष	पु. सं.	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
श्री श्री गीता देवी 'पुष्पान' श्री डिगार सिंह 'उमेश जेठेरा' 'सोहन उज्ज्वल' गोविन्द फारिया (GAD USWA)		आज दिनांक 09-05-2016 को शाम 5 बजे लुंगलुंग की खुली बैठक एवं सूचनानुसार प्रधान श्री गीता देवी जी की अध्यक्षता में पंचायत घर सिकरौवा में दिन के 2:00 बजे आदर की गयी, बैठक में क्रमशः पूर्ण होने के पश्चात निम्न कार्यवाही की गयी	गीता देवी (U. Jethi) (GAD USWA)
डिगार सिंह गोबल सिंह सुभाष सिंह लक्ष्मी लाल	1	गृह कार्यवाही का वाचन एवं पारितोषिक आज की बैठक में गृह कार्यवाही का वाचन किया गया तथा सर्व सम्मान से पारित की गयी,	लक्ष्मी लाल
लक्ष्मी देवी महीन्द्र सिंह भरत सिंह हर सिंह गंगा राम गोबल सिंह ईश्वर सिंह जय सिंह जाय सिंह सुन्दर सिंह देवता सिंह जसमल सिंह रमेश कुमार वीर सिंह विशाल सिंह वीरन्द्र सिंह ईश्वर सिंह भाल सिंह	2	आय-व्यय पर चर्चा:- आज की बैठक में गृह वर्ष की आय-व्यय पर चर्चा किया गया, तथा आय-व्यय निम्न रहा, आय:- वर्ष के आय निम्न रहा, 1- राज्यावधि से प्राप्त धनराशि ₹ 71,00,000/- 2- 14वाँ क्रम से प्राप्त धनराशि ₹ 15,40,000/- 3- स्वैप से प्राप्त धनराशि ₹ 28,00,000/- 4- आज प्राप्त ₹ 5396/- व्यय:- वर्ष के व्यय निम्न रहा, 1- प्रधान जी का मानदण्ड भुगतान ₹ 1,57,500/- 2- उप-प्रधान जी का मानदण्ड भुगतान ₹ 75,000/- 3- पंचायत घर-चाहूँ दिवसी निर्माण पर व्यय ₹ 50,000/- 4- स्वैप की धनराशि UWSL खाते में जमा-तकरीब ₹ 28,00,000/- उपरोक्त आय-व्यय की सर्व सम्मान से पारित की गयी,	लक्ष्मी देवी गंगा राम गंगा नारायण ईश्वर सिंह जय सिंह सुन्दर सिंह देवता सिंह जसमल सिंह रमेश कुमार वीर सिंह विशाल सिंह वीरन्द्र सिंह ईश्वर सिंह भाल सिंह
गोबल राम	3	जन्म-मृत्यु पर चर्चा:- आज की बैठक में	गोबल राम



निरापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता-4X3000किलोवाट) 10.236 हे० के भूनिर्माण हेतु निर्माण कार्य में अपनी नापभूमि निर्धारित। नियमानुसार भुआवजा के भुगतान होने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में भी नहीं रहेगी। हम हस्ताक्षर करती अपनी स्वेच्छा से यह निरापत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर दे रहे हैं।

नाम	हस्ताक्षर
1- डिगपसिंह	
2- गोवर्धन शर्मा	गोवर्धन शर्मा
3- ईश्वर सिंह	ईश्वर सिंह
4- जोहरा सिंह	जोहरा सिंह
5- सुरेश सिंह	सुरेश सिंह
6- गीता देवी	गीता देवी
7- पार्वती देवी	पार्वती देवी
8- विष्णु देवी	विष्णु देवी
9- जय सिंह	जय सिंह
10- उषा देवी	उषा देवी
11- विरमा देवी	विरमा देवी
12- लाला देवी	लाला देवी
13- मदन सिंह	मदन सिंह
14- पान सिंह	पान सिंह
15- गंगा शर्मा	गंगा शर्मा
16- सुरन सिंह	सुरन सिंह
17- जीवन सिंह	



- 18 पालावती देवी
- 19 शैलेश
- 20 कलावती
- 21 निव
- 22 मालती
- 23 गीता देवी
- 24 संदीप सिंह
- 25 कठी भाई

प्रीत नमो

Kamurh

कलावती देवी

निव देवी

मालती देवी

गीता देवी

सुन

Kithi



अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है० के निर्माण में जनहित में जो भी वन पंचायत/वन भूमि विभाग द्वारा अधिकृत की जायेगी, उस पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

ह० / -



सरपंच

ग्राम.....



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित
तांकुल लघु जाल विद्युत परियोजना (क्षमता) 4×3000
किलोवाट 10.236 है० के नवनिर्माण हेतु अनहित
में जो भी सिविल वन भूमि / वन पंचायत की
भूमि विभाग द्वारा अधिगृहित की जायेगी उस
पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है,
तथा आविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी
भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।

सुबनसिंह

संस्थान

वन पंचायत, धारचूला, पिथौरागढ़
मुख्य अधिकारी



अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है० के निर्माण में जनहित में जो भी वन पंचायत/वन भूमि विभाग द्वारा अधिकृत की जायेगी, उस पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी।



मेहन सिंह
सरपंच
कुन्हाली

ह०/-

सुनार सिंह

सरपंच
पञ्चवत बंगला, सिमरौली
धारचूला (पिथौरागढ़)

ग्राम... कुन्हाली खिखोली

विराट सिंह
ग्राम
कुन्हाली ०३ धारचूला
पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)

सुनार सिंह
ग्राम
पञ्चवत बंगला, सिमरौली
धारचूला (पिथौरागढ़)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4×3000 किलोवॉट) 10.236 हे० के नवनिर्माण हेतु जनहित में जो भी नाप भूमि (Muck Dumping Zone) मक डंपिंग ज़ोन के लिए जो भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी उस भूमि पर मुझे नाप लैंड स्वेत होगी तथा भविष्य में कोई भी आपत्ति नहीं जायेगी।

(1) Muck Dumping Zone के लिये नाप लैंड या बेंजर भूमि का प्रमाण पत्र ग्राम - बुंगबुंग

1- नाम

1 - गिरछिंद

2 - विदेन्द्र सिंह

3 - संदीप सिंह

(4) रुप सिंह

(5) सुरनाथ सिंह

(6) रमेश कुमार

(7) मोहन सिंह बौजली

(8) ईश्वर सिंह बौजली

(9) गगन सिंह बौजली

(10) ह्यात सिंह रावत

(11) जयसिंह भण्डी

(12) गोबडी राव

(13) जयानन्द बियाल

(14) गंगा राम

(15) रवीन्द्र राव

विदेन्द्र सिंह

मोहन सिंह

गगन सिंह

रुप सिंह

सुरनाथ सिंह

रमेश कुमार

मोहन सिंह

ईश्वर सिंह

गगन सिंह

ह्यात सिंह

जयसिंह

गोबडी राव

जयानन्द

गंगा राम

रवीन्द्र राव

विदेन्द्र सिंह

सदस्य

क्षेत्र पंचायत 03 बांगला
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

सुरनाथ सिंह

समय

क्षेत्र पंचायत बांगला, सिमरौली
धारचूला (पिथौरागढ़)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक - 09-05-2016 के समय 13.30 P.M. ग्राम सभा - बंगबुंग
पट्टी - सिर्वा, तहसील - धारचूला, जिला - पिथौरागढ़, की खुली
बैठक में सर्वसम्मति से विचार-विमर्श किया कि उक्त ग्राम
सभा की नाप भूमि जो 4×3000 किलोवाट ताकुल जल विद्युत
परियोजना के नव निर्माण हेतु कटी हैं. उसमें किसी ग्रामवासी
को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है.

विरूद्धि
सदस्य
क्षेत्र पंचायत 03 पांगला
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)



ग्राम कुंगुंग, पट्टी-सिर्वा, तहसील चारखला, जिला-पिबौरागढ़ हस्ताक्षरित
कर यह लिखित रूप में प्रस्तुतित ताक़त जल विद्युत परियोजना (4x3 मेगा वाट)
के निर्माण में जनहित में पड़ने वाली राज्य सरकार की भूमि अ.जे.वी.एम.
लि. चारखला जिला-पिबौरागढ़ को प्रत्यावर्तन दे रहे हैं जो ग्राम कुंगुंग
में 19.0 हेक्टेयर राज्य सरकार की भूमि में वृक्षारोपण किये जाने में कोई
आपत्ति नहीं है।

वि० छ० - थारचूला (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) 10.236 है० के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- तांकुल

तहसील:- धारचूला

जिला:- पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

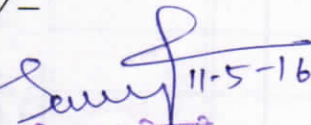
उत्तराखण्ड के जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता - 4 X 3000 किलोवॉट) के नवनिर्माण हेतु 0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 9.397 है० सिविल सोयम भूमि, 0.00 है० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 10.236 है० वन भूमि का यू०जे०वि०एन० लिमिटेड धारचूला, जिला पिथौरागढ़ विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तांकुल द्वारा दिनांक 11-05-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तांकुल के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.236 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव तांकुल
विकास खण्ड : धारचूला (पिथौरागढ़)

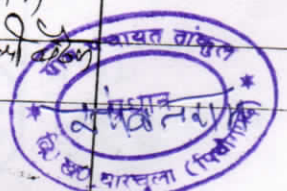
ह०/-

ग्राम प्रधान



उपासिका	पुं सं	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
पूणिमादेवी कुलसीदेवी सुनादेवी नरेंद्रादेवी सोमलदेवी सुनीतादेवी आशदा देवी जमन देवी वसुन्दीदेवी दालदेवी	3	जन्म भूत पर चर्चा :- आज की बैठक में जन्म-भूत पर चर्चा किया गया तथा निम्नांकित जन्म-भूत का चयन किया गया, लक्ष्मण जल विद्युत परियोजना पर चर्चा आज की बैठक में तांकुल में प्रस्तावित लक्ष्मण जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा किया गया, बैठक में परियोजना के सदाग्रह आदेशों को लक्ष्मण जोशी जी द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, उक्त परियोजना के निर्माण से पूरे क्षेत्र के विद्युत की समस्या के निजात मिलने की जानकारी दी गयी, बैठक के उपरान्त सभी सदस्यों द्वारा तांकुल लक्ष्मण जल विद्युत परियोजना निर्माण से किसी भी प्रकार की आपात नही की गयी, उक्त परियोजना निर्माण हेतु पूरे ग्राम सभा के लोग सहमत हैं तथा किसी को कोई आपात नही है बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कराया गया कि ग्राम पुंचायत में वन आदेशों के अन्तर्गत 2006 के तहत कोई भी मासु लपेटे नही है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित	पूणिमा सुनीता देवी आशदा जमन देवी वसुन्दी दाल
	5	डा० रंजीत जी अकल कुला में ग्राम वसुलाव योजना पर चर्चा :- आज की बैठक में	

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत तांकुल
विकास कार्य : तांकुल (विशेषांगक)



उपाध्यक्ष	पुं सं०	की गयी कार्यवाही	हस्ताक्षर
श्री सोहनराज प्रधान		आज दिनांक 11-05-2016 को ग्राम सभा तांझन की खुली बैठक पूर्व सूचना अनुसार प्रधान श्री सोहनराज जी की अध्यक्षता में पंचायत घर तांझन घट्टावागड में दिन के 2:00 बजे से आहूत की गयी, बैठक के दौरान पूर्ण होने के पश्चात निम्न कार्यवाही की गयी,	सोहनराज
1. विश्वनाथ सिंह			
2. उप-प्रधान श्री उमेशा जोशी			
3. AE (UJVN)			
4. गोविंद करिंद (UJVN)			
5. कुपावसे			
नायथराज	1	गैर कार्यवाही का वाचन स्वीकार - आज की बैठक में गैर कार्यवाही का वाचन किया गया तथा सर्वसम्मति से पुर्ण की गयी,	मधुसूदन
शेखनराज			
बोपनराज			
धनीराज			
इन्द्रादि			
विनोदराज	2	आय - व्यय पर चर्चा - आज की बैठक में गैर वर्ष की आय - व्यय पर चर्चा किया गया तथा आय - व्यय निम्न रहा,	मधुसूदन
शेखनराज			
देवेन्द्रादि			
नायथराज			
बोपनराज			
निखनराज			
रेवीन्द्रादि			
कालीन्द्रादि			
श्रीनारायण			
बालू लाल			
बोपनराज			
रीतादेवी			
पार्वती देवी			
गोविंदराज			
मोहनराज			
सिद्धराज			
अन्य अधिकारी			
सोहनराज			
अन्य अधिकारी			

आय - व्यय पर चर्चा - आज की बैठक में गैर वर्ष की आय - व्यय पर चर्चा किया गया तथा आय - व्यय निम्न रहा,

आय - वर्ष के आय निम्न रहा,

राज्य की से प्राप्त धनराशि ₹ 530000=00

1 पंचायत से प्राप्त धनराशि ₹ 116000=00

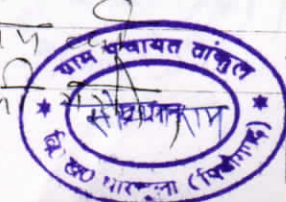
स्वयंसे प्राप्त धनराशि ₹ 4740000=00

व्याज प्राप्त ₹ 27637=00

व्यय :- वर्ष के व्यय निम्न रहा,

1. प्रधान की मानदेय भुगतान ₹ 15750=00
2. उप-प्रधान की मानदेय भुगतान ₹ 5950=00
3. पंचायत घर दहेतु फनीचलक ₹ 15000=00
4. पंचायत घर सुरक्षा विभाग ₹ 82000=00
5. स्वयंसे प्राप्त धनराशि (UJVN) से भुगतान ₹ 4940000=00

उपरोक्त आय - व्यय सर्वसम्मति से पुर्ण की



अन्य अधिकारी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक - 11-05-2016 के समय 13.30 P.M ग्राम सभा-
लाकुंल, पट्टी-सिर्खा, तहसील-घाटखुला, जिला-पिपौरागढ़
की खुली बैठक में सर्वसम्मति से विचार किया कि उक्त
ग्राम सभा की जाप श्रीमंजो 4X3000 किलोवाट लाकुंल जल
विद्युत परियोजना के नव निर्माण हेतु करी है, उसमें किसी भी
ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

किशोरादेवी
इन्द्रादेवी
दोलेतादेवी
कल्याणदेवी
दानादेवी
कृपादेवी
भक्तेश्वरदेवी
रीतादेवी
दोपतीदेवी
बुलसीदेवी
गोविन्दीदेवी
द्यालीदेवी
वसन्तीदेवी
खिमुलीदेवी
पुष्पिकादेवी
जगन्मयी
नायकादेवी
जीवनराम
हाविलार राम
लोन्तोदेवी
बुलाराम
रेवीदेवी
भुमुलीदेवी
हनुमादेवी

इन्द्रादेवी
दोलेतादेवी
दोपतीदेवी
दानादेवी
कृपादेवी
भक्तेश्वरदेवी
रीतादेवी
दोपतीदेवी
बुलसीदेवी
गोविन्दीदेवी
द्यालीदेवी
वसन्तीदेवी
खिमुलीदेवी
पुष्पिकादेवी
जगन्मयी
नायकादेवी
जीवनराम
हाविलार राम
लोन्तोदेवी
बुलाराम
रेवीदेवी
भुमुलीदेवी
हनुमादेवी

बक प्रमाणित कियुक्त
घाटखुला (पिपौरागढ़)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला, अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुल जल विद्युत परियोजना क्षमता (4x3000 किलोवाट) 10.236 हेक्टेयर के नव निर्माण हेतु जनहित में जो भी नाप भूमि (Musk Damping Zone) मक डंपिंग जोन के लिये जो भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहित की जायेगी उस भूमि पर मुझे नाप लैंड खेत भूमि या वजंर भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं होगी तथा भविष्य में कोई भी आपत्ति नहीं लगायी जायेगी.

Musk Damping Zone के लिये नाप भूमि या वजंर भूमि का प्रमाण पत्र - ग्राम सभा - ताकुल .

नाम -

विश्वनाथ

इन्द्र सिंह

दुर्गात सिंह

कलश्री सिंह

दाना सिंह

कपावदा

अकशनाथ

सीता देवी

दांपती देवी

तुलसी देवी

गोविन्दी देवी

धोली देवी

पुलसी देवी

सिधुली देवी

प्राणेशी देवी

अनुराग

गोपाला देवी

जीवन राम

विश्वनाथ

इन्द्र सिंह

दुर्गात सिंह

कलश्री सिंह

दाना सिंह

कपावदा

अकशनाथ

सीता देवी

दांपती देवी

तुलसी देवी

गोविन्दी देवी

धोली देवी

पुलसी देवी

सिधुली देवी

प्राणेशी देवी

अनुराग

गोपाला देवी

जीवन राम

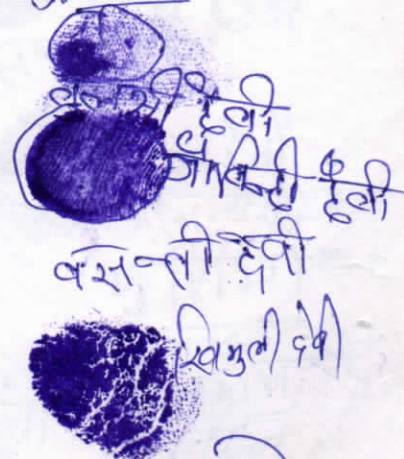
विश्वनाथ

सदस्य

क्षेत्र संचायक 03 पांगला
वि० ख० धारचूला (पिथौरागढ़)

संयोजक

क्षेत्र संचायक 03 पांगला
धारचूला (पिथौरागढ़)



31/7/21

आज ले 215
बोना 199

ଗୁଣାରି

~~रामदास~~

பகுதி 5

69/54

नारायण दत्त

दुनी श.म.

~~श्रीलंका~~ - २५

५५५
२५ जून १९५५

प्रश्न 214

हुली हुली

महुली हुली

पुनः ११)

தமிழகம்

द्वितीयः २१५

प्रमाण 214

निरापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिबौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुंल जल विद्युत परियोजना क्षमता - (4 X 3000 किलोवाट)

10.236 ईक्वेयर के जव निर्माण हेतु निर्माण कार्य में अपनी जाप भूमि निर्धारित। नियमानुसार मुझावजा के भुगतान होने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तथा भविष्य में भी नहीं रहेगी। हम हस्ताक्षर कर्ता अपनी स्वेच्छा से यह निरापत्ति प्रमाण पत्र संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर दे रहे हैं।

नाम

हस्ताक्षर

1- विशनाबिह

इन्डाबिह

दालताबिह

कैलाशाबिह

दानाबिह

कुपावदह

मन्थनराह

रीता देवी

बोपती देवी

तुनसी देवी

गोविंदी देवी

धौली देवी

वसुन्ती देवी

1/2 मुली देवी

प्राणिमा देवी

जमनाबिह

नालापठ दह

जीवनराह

कांगली राहि

सान्ता देवी

कुला राहि

विशनाबिह

इन्डाबिह

दालताबिह

कैलाशाबिह

दानाबिह

कुपावदह

मन्थनराह

रीता देवी

बोपती देवी

तुनसी देवी

गोविंदी देवी

धौली देवी

वसुन्ती देवी

1/2 मुली देवी

प्राणिमा देवी

जमनाबिह

नालापठ दह

जीवनराह

कांगली राहि

सान्ता देवी

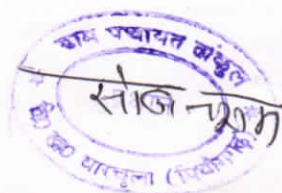
कुला राहि

विशनाबिह सदस्य

क्षेत्र संघाध्यक्ष 03 पांगला वि० ख० धारचूला (पिबौरागढ़)

संरक्ष

जन प्रशासन ककुल धारचूला (पिबौरागढ़)



Cost Benefit Ratio Chart

Name of Project: Kailash Yashwanth Small Hydro Project

Project Location:

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद पिपौरागढ़ में तहसील धारचूला अन्तर्गत प्रस्तावित ताकुंल जल विद्युत परियोजना क्षमता. 4×3000 किलोवाट 10.236 हेक्टेयर के नवनिर्माण हेतु जनहित में जो भी सिविल वन भूमि वन पंचायत की भूमि विभाग द्वारा अधिगृहित की जायेगी इस पर ग्रामवासियों के कोई आपत्ति नहीं है. तथा भविष्य में ग्रामवासियों के द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं लगायी जायेगी.



[Signature]
प्रमुख

जन पंचायत धारचूला
धारचूला (पिपौरागढ़)

प्रस्तावित विद्युत परियोजना (ताकुंल जल विद्युत परियोजना) का 10.236 हेक्टेयर	The subject area is situated within the boundary of the Gram Panchayat Dharchula, District Pipraitha, State of Nepal.	अनापत्ति प्रमाण पत्र धारचूला (पिपौरागढ़)
(A) Environmental Protection: Various environmental factors like air, soil, water, etc. are required to be at least maintained at their original condition.	31.12.2018	अनापत्ति प्रमाण पत्र धारचूला (पिपौरागढ़)
(B) Land Acquisition: The land required for the project is situated within the boundary of the Gram Panchayat Dharchula.	11.12.18	अनापत्ति प्रमाण पत्र धारचूला (पिपौरागढ़)
(C) Land Acquisition: The land required for the project is situated within the boundary of the Gram Panchayat Dharchula.	11.12.18	अनापत्ति प्रमाण पत्र धारचूला (पिपौरागढ़)
Note: The project is situated within the boundary of the Gram Panchayat Dharchula, District Pipraitha, State of Nepal.	11.12.18	अनापत्ति प्रमाण पत्र धारचूला (पिपौरागढ़)

Senior Engineer

UPN-2, Lalpur

Charhata, Pipraitha

अनापत्ति प्रमाण पत्र

धारचूला (पिपौरागढ़)

धारचूला (पिपौरागढ़)

धारचूला (पिपौरागढ़)

धारचूला (पिपौरागढ़)